भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4905
दिनांक 31.03.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

जिनेवा में भारत विरोधी पोस्टर

4905. **डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:**
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:
श्री जय प्रकाशः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि अल्पसंख्यकों और महिलाओ के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र से ठीक पहले जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र भवन के बाहर चौराहे पर दुर्भावना से प्रेरित भारत विरोधी पोस्टर लगाए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क और ख) पोस्टर एक सार्वजनिक स्थान पर लगाए गए थे जो जेनेवा शहर के प्राधिकारियों द्वारा प्रचार सामग्री लगाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को दैनिक भुगतान के आधार पर प्रदान की जाती है। सामान्यतः इस स्थान का उपयोग सिविल सोसायटी संगठनों और अन्य कारकों द्वारा विशेषतः उस अवधि के दौरान सामग्री प्रदर्शित करने और विभिन्न देशों के खिलाफ प्रदर्शनों को आयोजित करने के लिए किया जाता है, जब मानवाधिकार परिषद अपना सत्र आयोजित करती है।

(ग) विदेश मंत्रालय ने 5 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्विस राजदूत को तलब किया था और जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र भवन के सामने निराधार और दुर्भावनापूर्ण भारत विरोधी पोस्टर लगाने के मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया था।

*****